सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

Ministry of Home Affairs, Department of Official Language

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

Central Hindi Training Institute

संख्या- ए-19012/5/97-केहिप्रसं./535 दिनांक : 28 FEB 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषा)/ सयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)/ उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), सहायक निदेशक (भाषा) / हिंदी प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के स्थानांतरण हेतु कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए निर्धारित नीतियों के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषा)/ संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)/ उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), सहायक निदेशक (भाषा) / हिंदी प्राध्यापक तथा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) के स्थानांतरण हेतु कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए तैयार की गई नीति (संलग्न) को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में सभी संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी हितधारकों के सुझाव सारगर्भित शब्दों में इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पन्द्रह दिन के अंदर इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

संलग्न :- यथोपरि।

सेवा में,

1. संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केहिप्रसं., नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ कार्यालयाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना/केहि.प्र.सं., चेन्नै/मुंबई /गुवाहाटी/कोलकाता/हैदराबाद/बेंगलूरू/नई दिल्ली/पटना को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्र के अधीन सभी सहायक निदेशक (भाषा)/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)/हिंदी प्राध्यापकों के सुझाव प्राप्त कर संस्थान को भेजने का कष्ट करें।
3. सभी उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हि.शि.यो., (मध्योत्तर/पूर्व), नई दिल्ली/कोलकाता।
4. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) एवं नोडल अधिकारी (वेबसाइट) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराएँ।

7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

7th Floor, P.Deendayal Antyodaya Bhawan, C.G.O.Complex, Lodhi Road, New Delhi-03

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website:http://chti.rajbhasha.gov.in

ए-45011/6/2022 - केहिप्रसं./ 2386

दूरभाष - 24364120
Tel - 24366794
24368158

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(राजभाषा विभाग)
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सातवाँ तल, अंत्योदय भवन,
7th Floor, Antyodaya Bhawan,
सी.जी.ओ.काम्पलेक्स,
C.G.O. Complex,
लोधी रोड, नई दिल्ली.110003
Lodhi Road,
New Delhi. 110003
दिनांक /Date-

1 8 SEP 2023

सेवा में

उप सचिव (प्रशिक्षण)
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
एन.डी.सी.सी. भवन- 2
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

विषय: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत संयुक्त निदेशक (भाषा) / टंकण / आशुलिपि), उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)/ उप निदेशक (टंकण / आशुलिपि), सहायक निदेशक (भाषा)/ हिंदी प्राध्यापक) तथा सहायक निदेशक (टंकण / आशुलिपि) के स्थानांतरण में स्थान के चयन हेतु कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए निर्धारित नीतियों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में कृपया अपने दिनांक 03.08.2023 के पत्र संख्या-21034/28/2023-रा. भा.(प्रशि.) का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति मुख्य रूप से CSS कैडर को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। इसलिए संस्थान में इस नीति को आधार बनाकर स्थानांतरण पॉलिसी बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। तथापि अवर सचिव (प्रशि), राजभाषा विभाग के दिनांक 3 अगस्त 2023 के उपरोक्त पत्र द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार राजभाषा विभाग के दिनांक 21/06/2016 के कार्यालय आदेश संख्या-13034/23/2016-रा.भा.(प्रशा) (पताका क) द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुरूप अपेक्षित संशोधन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की प्रस्तावित “कंप्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली को लागू करने के लिए स्थानांतरण नीति” में कर दिए गए हैं।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में कम्प्यूटरीकृत स्थानांतरण प्रणाली लागू करने के लिए स्थानांतरण नीति

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	क्षेत्रवार पद	एक स्थान पर तैनाती की अवधि
1.	सयुक्त निदेशक (भाषा)	7	नई दिल्ली-3 मुंबई-1 चेन्नै-1 कोलकाता-1 गुवाहाटी-1	4 वर्ष
2.	संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	2	नई दिल्ली-2	लागू नहीं
3.	उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना)	18	नई दिल्ली-7 मुंबई-2 बेंगलुरू-1 चेन्नै-2 हैदराबाद-1 विशाखापट्टनम-1 कोलकाता-2 गुवाहाटी-2	4 वर्ष
4.	उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	4	नई दिल्ली-2 मुंबई-1 कोलकाता-1	4 वर्ष
5.	सहायक निदेशक (भाषा)/हिंदी प्राध्यापक	150	अनुलग्नक 'क'	7 वर्ष-सामान्य क्षेत्र* 3 वर्ष-कठिन क्षेत्र** (स्वेच्छा से कठिन क्षेत्र में ट्रांसफर/पोस्टिंग पर -7 वर्ष)
1.	सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)	39	अनुलग्नक 'ख'	7 वर्ष- सामान्य क्षेत्र (श्रेणी 'क')* 3 वर्ष- कठिन क्षेत्र** (स्वेच्छा से कठिन क्षेत्र में ट्रांसफर/पोस्टिंग पर -7 वर्ष)

सामान्य क्षेत्र - उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत तथा दक्षिण भारत = **अवधि 07 वर्ष**

****कठिन क्षेत्र-** जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप = **अवधि 03 वर्ष**।

*****पूर्वोत्तर में विशेष रूप से तैनाती** की स्थिति में कम से कम 07 वर्ष।

टिप्पणी:- स्थानांतरण हेतु अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के अनुसार होगी ।

1. उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई अवधि निम्नलिखित स्थितियों / मामलों में लागू नहीं होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार तय अवधि से पहले भी स्थानांतरण करने पर विचार किया जा सकता है अथवा अवधि पूर्ण होने पर भी स्थानांतरण लंबित रखा जा सकता है:-

I. किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय/ अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति में।

II. नियंत्रक अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में औचित्य पूर्ण विपरीत टिप्पणी करने की स्थिति में।

III. पदोन्नति की स्थिति में। (अवधि गणना वर्तमान पद, पदोन्नति के उपरान्त के अनुसार होगी।)

IV. चिकित्सा अथवा अनुकंपा/मानवीय आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से।

V. निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों का 70 % से कम होने पर।

VI. अपरिहार्य कार्यात्मक आवश्यकता की स्थिति में।

2. कठिन क्षेत्र के मूल निवासी/कार्मिकों को यदि उनके क्षेत्र से बाहर तैनात किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उन्हें प्रार्थना के आधार पर वापस उनके क्षेत्र में स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वहां स्पष्ट रिक्ति उपलब्ध हो।

3. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (कठिन क्षेत्र) में अपना कार्यकाल [टेन्योर (Tenure)] पूरा करने वाले अधिकारी अगली पोस्टिंग के लिए तीन विकल्प (केंद्र) उचित माध्यम से निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को नवंबर/ दिसंबर में भेजेंगे। अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्पों (केंद्रों) के अनुरूप पोस्टिंग देने के लिए प्रशासनिक व्यावहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम स्तर तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप (कठिन क्षेत्र) में स्वेच्छा से नियुक्ति /स्थानांतरण की स्थिति में कम से कम 7 वर्ष की सेवा के पश्चात ही कार्मिक के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।

5. कठिन क्षेत्र में तैनाती और 3 वर्ष की अवधि का तात्पर्य कार्मिक द्वारा भौतिक रूप से तैनाती स्थल पर बिताए गए समय से है। कार्मिक यदि इस अवधि में सीसीएल (CCL)/शिक्षा/चिकित्सा अवकाश या अन्य कारणों से लंबे अवकाश (एक माह से अधिक) पर रहा है तो इस अवकाशावधि को 3 वर्ष की अवधि में नहीं माना जाएगा। तदनुसार कार्मिक को उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए अति कठिन क्षेत्र में तैनाती पर सेवा करनी होगी।

6. सामान्यतः चॉइस पोस्टिंग के मामले पर तभी विचार किया जाएगा जब इच्छित जगह पर स्पष्ट रिक्ति होगी अथवा उस स्थान पर कार्यरत कार्मिक का कार्यकाल पूर्ण हो गया हो।

7. चॉइस पोस्टिंग हेतु किसी केंद्र के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी को मौका दिया जाएगा बशर्ते वह उत्कृष्ट निष्पादन की शर्त पूरी करता हो।

8. पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा और सेवा अवधि उपरोक्त तालिका के अनुसार तय होगी। तथापि रिक्तियां के संतुलन और प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं।

9. म्यूचुअल स्थानांतरण को स्वेच्छा से स्थानांतरण माना जाएगा और इसके लिए कार्मिक को पूरे सेवाकाल में केवल एक मौका दिया जाएगा। म्यूचुअल स्थानांतरण का उल्लेख स्थानांतरण आदेश में किया जाएगा और उसकी प्रविष्टि सेवा पंजिका में की जाएगी।

10. कार्मिक के सेवानिवृत्त होने में यदि 3 वर्ष से कम समय शेष रहता है तो यथासंभव उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तथापि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में प्रयोजन मूलक आवश्यकता (Functional Requirement) के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।

11. हिंदी भाषा तथा हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं के दौरान स्थानांतरण प्रभावी नहीं किए जाएंगे, इन परिस्थितियों में स्थानांतरित कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के पश्चात् कार्यमुक्त किया जाएगा।

12. जिन कार्मिकों का वर्तमान तैनाती स्थान पर 3 अथवा 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है और जो स्थानांतरण पॉलिसी के अंतर्गत स्थानांतरित होने वाले हैं, किंतु यदि उनके बच्चे आगामी बोर्ड की (10 वीं, 12 वीं) की परीक्षा देने वाले हैं, तो बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कार्मिकों का कार्यकाल उनके अनुरोध पर उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर 1 वर्ष अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है।

13. सामान्यतः किसी स्थल पर तैनाती की न्यूनतम अवधि से पहले किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, किंतु-

I. अधिकारी की वैवाहिक स्थितिः जहां पति-पत्नी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना में कार्यरत हैं अथवा केंद्र सरकार / राज्य सरकार में कार्यरत हैं तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोनों का स्थानांतरण एक ही स्थान पर करने पर विचार किया जा सकता है।

II. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के स्वयं/ पत्नी अथवा बच्चों की चिकित्सकीय आधार पर स्थानांतरण के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। चिकित्सकीय आधार पर स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित रोगों को संज्ञान में लिया जाएगा:-

1. कैंसर
2. लकवा
3. गुर्दे का पूरी तरह काम करना बंद कर देना
4. कोरोनरी आर्टरी डिजीज
5. थेलिसीमिया
6. पार्किंसन
7. मोटर न्यूरॉन्स

उमेश शर्मा

8. 45% से अधिक मानसिक असंतुलन के साथ अन्य कोई रोग

9. एड्स

III. **दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण से छूट**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/3/2014-Estt.(Res) (अनुलग्नक 'क') के आलोक में ऐसे कार्मिक जो आश्रित पत्नी/ बेटा/बेटी/ अभिभावक/ माता- पिता/ भाई / बहन जो की प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित विशेष दिव्यांग हैं और मानदंड के अनुरूप दिव्यांगता हैं, के मुख्य देखभाल करने वाले कार्मिक हैं तो ऐसे कार्मिक को प्रशासनिक बाध्यताओं के अलावा सामान्यतः स्थानांतरण से मुक्त रखा जाएगा। दिव्यांग कार्मिकों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आकलन के आधार पर प्रशासनिक बाध्यताओं के अलावा यथासंभव चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा।

14. **विशेष टिप्पणी**

I. स्थानांतरण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सही, सटीक और पूर्ण डाटाबेस का होना आवश्यक है। प्रशासन अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कार्मिकों की प्रोफाइल वाला डेटाबेस "कंप्यूटर आधारित स्थानांतरण प्रणाली" में अद्यतन रखें।

II. सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण के मामलों पर विचार करते समय मितव्ययिता, प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की अनिवार्यता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय हित में सही व्यक्ति को सही जगह तैनात करने का विशेषाधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास रहेगा।

III. यह स्थानांतरण दिशा-निर्देश/ नीति अनुमोदित / लागू होने पर प्रथम वर्ष में केवल 15% कार्मिकों को चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा। (इसमें अधिकतम अवधि वाले कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी।) इसी प्रकार दूसरे वर्ष पुनः 15% कार्मिकों को चॉइस पोस्टिंग देने का प्रयास किया जाएगा (इसमें भी अधिकतम अवधि वाले कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार **अगले 7 वर्षों में** शत-प्रतिशत कार्मिक लाभान्वित हो सकेंगे और इस नीति से **7 वर्ष के पश्चात्** क्रमवार स्थानांतरण होने से कठिन / अति कठिन क्षेत्रों में लंबी अवधि की तैनाती से बचा जा सकेगा।

भवदीय

रामनरेश शर्मा

(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)

निदेशक